[2009] 8 एस.सी.आर. 51

राजस्थान राज्य

बनाम

शांति

(आपराधिक अपील सं. 957/2003)

21 अप्रैल, 2009

[न्यायमूर्ति, डॉ. अरिजीत पासायत और न्यायमूर्ति, अशोक कुमार गांगुली]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985: धारा 9,10,42 (2), 50,55 और 57–अफ़ीम की जब्ती–गिरफ्तार अभियुक्त –विचारण न्यायालय ने पाया कि धारा 42 (2), 50,55 और 57 का उल्लंघन किया गया था और अभियुक्त को बरी कर दिया–राज्य द्वारा अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था–अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःधारा 50 केवल तभी लागू होगी जब व्यक्तिगत तलाशी हो और साथ ही निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई धारा 42 (2) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है–इसलिए अपील में कोई बल नहीं है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 957/2003

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी. आपराधिक अपील सं. 356/1991 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 08.03.2002 से –

अपीलार्थी की ओर से मनीष सिंघवी और मिलिंद कुमार।

प्रतिवादी की ओर से ननीता शर्मा।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **डॉ. अरिजीत पासायत, जे.** द्वारा दिया गया–

1. राज्य और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संख्या 2, हनुमानगढ़ द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए राज्य द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज

किया गया। दो व्यक्तियों का स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस एक्ट') की धारा 8 और 18 के तहत कथित करित अपराध हेतु विचारण किया गया था।

3. आरोप यह था कि 18/1/1999 पर पिलिबंगा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को गुप्त सूचना मिली कि प्रत्यार्थी श्रीमती शांति और उसका बेटा दर्शन अपने पति शंकर लाल के साथ आदतन अफीम की बिक्री और खरीद में लिप्त थे और प्रत्यार्थी श्रीमती शांति के किसी विशेष स्थान के पास अफीम के साथ आने की उम्मीद थी। पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे और पाया कि प्रत्यार्थी के हाथ में एक थैला था। उसे रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। थैले में लगभग 10 किलो अफीम पाई गई। उसके द्वारा दी गई जानकारी पर, उसके आवासीय घर के पास से 20 किलोग्राम अफ़ीम और जब्त की गयी। अभियुक्त शंकर लाल को 20 किलो अफीम की दूसरी बरामदगी के सिलसिले में पहले भी गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। जैसे ही अभियुक्त व्यक्तियों ने बेगुनाही का अनुरोध किया, मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(2), 50, 55 और 57 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था और आरोपी को बरी कर दिया। बरी किए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए राज्य ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपील में कोई सार नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया।

4. जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 यानी शंकर लाल के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी और वर्तमान प्रत्यार्थी के लिए नोटिस जारी की गयी थी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा कि धारा 50 के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई व्यक्तिगत तलाशी नहीं थी। यह भी बताया गया है कि धारा 55 और 57 ओत्रापक उपबंध नहीं हैं। अभियोजन पक्ष का कथानक स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था। दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 42(2) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है।

6. जहाँ तक विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित धारा 50 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में निष्कर्षों का संबंध है, वे इस न्यायालय द्वारा कही गई बातों के अनुरूप नहीं हैं। धारा 50 केवल तभी लागू होती है जब व्यक्तिगत तलाशी की जाती है। प्रश्नगत मामले में, जब्ती के बाद, उसके थैले से नमूने एकत्र किए गए। किंतु धारा 42(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसा कि विचारण

न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा अभिलिखित किया गया है। ऐसा होने पर इस अपील में कोई बल नहीं है।

तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

जीएन.

Jai Shankar Mishra